न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2016 जिला–छतरपुर R-4211-I-16

142

1– भगवत सिंह पुत्र श्री शिवराज सिंह
2– भगवान सिंह पुत्र श्री शिवराज सिंह
निवासीगण– कदौहा, तहसील राजनगर,
जिला – छतरपुर (म.प्र.)

-- आवेदकगण

विरूद्ध

1– कन्हैया जू पुत्र श्री शिवराज सिंह
2– गोविन्द सिंह पुत्र श्री शिव सिंह
निवासीगण– सतना तहसील राजनगर,
जिला – छतरपुर (म.प्र.)

-- अनावेदकगण

द्वारा आज दि 14-12-16 को प्रस्तुत
क्लर्क ऑफ कोर्ट 14-12-16
राजस्व मण्डल म.प्र ग्वालियर

763
14-12-16

न्यायालय नायब तहसीलदार बसारी, तहसील राजनगर, जिला छतरपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 142/अ–6/2013–14 में पारित आदेश दिनांक 28.11.2016 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

14/12/16

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से यह पुनरीक्षण निम्न प्रकार प्रस्तुत है :–

1– यहकि, अधीनस्थ नायब तहसीलदार बसारी, तहसील राजनगर, जिला छतरपुर द्वारा प्रकरण में की जा रही कार्यवाही एवं पारित आदेश अवैध अनुचित एवं विधि के उपबन्धों के प्रतिकूल होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

2– यहकि, अधीनस्थ नायब तहसीलदार बसारी, तहसील राजनगर, जिला छतरपुर द्वारा प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विधिवत् विचार किये बिना ही जो आदेश पारित किया है। वह नितान्त अवैध एवं अनुचित होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

3– यहकि, अनावेदकगण द्वारा नायब तहसीलदार बसारी, तहसील राजनगर, जिला छतरपुर के समक्ष एक आवेदन पत्र ग्राम कदौहा स्थित भूमि खसरा नम्बर 868, 869, 871, 872 से 877, 886 से 890, 892, 893 कुल किता 16 रकवा 2.015 हैक्टेयर 2–मिन पर म0प्र0 भू–राजस्व संहिता की धारा 109, 110 के तहत नामांतरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। जिस पर आवेदकगण की ओर से आपत्ति इस आधार पर प्रस्तुत की गयी कि भूमिस्वामी द्वारा उनके पक्ष में पंजीकृत वसीयतनामा कराया गया हैं। ऐसी स्थिति वसीयतनामा के लेखक भागचन्द्र पटेल को जरिये नोटिस तलब किया जाये। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपरोक्त आपत्ति पर विचार किये बिना, जो आदेश पारित किया है, वह अपास्त किये जाने योग्य है।

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-4211-एक/2016 जिला छतरपुर भगवत विरूद्ध कन्हैया

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
07-01-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री के.के. द्विवेदी उपस्थित । आवेदक के द्वारा नायब तहसीलदार राजनगर के प्रकरण क्रमांक 142/अ-6/2013-14 में पारित आदेश दिनांक 28-11-2016 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 14-12-2016 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – ''1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथासंशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी, और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।'' 4. नायब तहसीलदार के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित जिला कलेक्टर है । अत: उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर कलेक्टर छतरपुर के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा ।	

5. अत: उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका के निराकरण हेतु प्रकरण कलेक्टर छतरपुर को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 27-02-2019 को इस आदेश की सत्यप्रतिलिपि लेकर कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में प्रस्तुत हो ।

6. कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में भेज जाये ।

7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

(आर.के. जैन) 7.1.19
सदस्य